राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी(जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा पत्र संख्या 7/2018

रजू दिनांक 01.02.2018

निर्णय दिनांक 20.05.2024

उनवान

1. पूजा पुत्री मुकेश आयु 13 साल ना0बा0 जरिये संरक्षिका माता मनोहरी देवी पत्नी मुकेश
2. कोमल पुत्री मुकेश आयु 09 साल ना0बा0 जरिये संरक्षिका माता मनोहरी देवी पत्नी मुकेश
3. खुशी पुत्री मुकेश आयु 07 साल ना0बा0 जरिये संरक्षिका माता मनोहरी देवी पत्नी मुकेश
4. अर्चना पुत्री मुकेश आयु 05 साल ना0बा0 जरिये संरक्षिका माता मनोहरी देवी पत्नी मुकेश
5. केशव पुत्र मुकेश आयु 04 साल ना0बा0 जरिये संरक्षिका माता मनोहरी देवी पत्नी मुकेश
6. मनोहरी देवी पत्नी मुकेश सभी जाति गूर्जर निवासीयान ग्राम बैनाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।

वादीगण।

बनाम

1. मुकेश पुत्र मूल्या
2. बद्री पुत्र मूल्या
3. हनुमान पुत्र मूल्या
4. रामेश्वर पुत्र गुल्लाराम
5. रामफूल पुत्र गुल्लाराम समस्त जाति गूर्जर निवासीयान ग्राम बैनाडा तह0 बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।
6. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बस्सी तह0 बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण जरिये मैनेजर।
7. बैंक ऑफ बडौदा शाखा बस्सी तह0 बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण जरिये मैनेजर।
8. उपपंजीयक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।
9. तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा,इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा।

–::निर्णय::–

आज यह पत्रावली वास्ते सुनाये जाने निर्णय अंतिम पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से है–

1. वादीगण ने वाद पेश कर निवेदन किया कि भूमिविवादग्रस्त खाता संख्या 224 खसरा नम्बर 570/10–12 बीघा, 570/930/00–02 बिघा, 636/03–18 बीघा, 755/943/05–16 बिघा वाके ग्राम बैनाडा पटवार हल्का बैनाडा भूअभिलेख निरीक्षक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल जयपुर ग्रामीण मे स्थित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के परिवार का सजरा वादपत्र के अंकित है। वादग्रस्त भूमि मे हिस्सा 1/3 वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 के पूवर्ज मूल्या पुत्र धन्ना के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड रही है यानिकी भूमिवादग्रस्त वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 की पैतृक भूमि है। विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 की स्वोपार्जित सम्पति नही होकर मूल्या पुत्र धन्ना के जमाने से चली आ रही पैतृक आराजी है। चूकिं विवादित आराजी पैतृक भूमि होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम केएवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बाई बर्थ राईट निहित है। इसलिए वादीगण के दादा मूल्या पुत्र धन्ना के फौत के पश्चात राजस्व रिकॉर्ड मे प्रतिवादी सं. 01 द्वारा जो इन्द्राज अपने अकेले के नाम दर्ज करवाया है वही वादीगण के हक व अधिकारों के मुकाबले शून्य है। प्रतिवादी संख्या 014 रिश्ते मे वादीगण संख्या 01 लगायत 05 का पिता है जो प्रतिवादी सं. 02 लगायत 03 के बहकावे में आकर विवादित आराजी मे वादीगण के वैध हक व अधिकारों से महरूम करने व अपना हकत्याग पर आमादा है।
2. वादी संख्या 01 लगायत 05 नाबालिग है, जिनका भरण पोषण उनकी माता वादी संख्या 06 बमुश्किल भूमिवादग्रस्त को काश्त कर रही है। दिनांक 10.01.2018 को प्रतिवादी सं.

01 लगायत 03 अपने साथ लगभग 4–5 व्यक्तियों को लेकर मौके पर आये एवं उन्हें विवादित आराजी दिखाने लगे जिस पर वादी संख्या 06 ने प्रतिवादीगण से जाकर पुछा तो प्रतिवादी संख्या 01 ने कहा कि वह विवादित आराजी का दिगर जगह बेचान करेगा तथा कुछ हिस्सा अपने भाईयों के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करवायेगा की एलानिया धमकी दी। इसलिए भूमिविवादग्रस्त में निहित अपने हक व अधिकारों को प्राप्त करने के लिए एवं खातेदारी अपने नाम लगवाने व स्थाई निषेधाज्ञा का वादीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

3. अंत मे वादीगण ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना कि है:–

(क) यह है कि वाद बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत बंटवारा भूमिविवादग्रस्त खाता संख्या 224 खसरा नम्बर 570/10–12 बिस्वा, 570/930/00–02 बिस्वा, 636/03–18 बिस्वा, 755/943/05–16 बिस्वा वाके ग्राम बैनाडा पटवार हल्का बैनाडा भूअभिलेख निरीक्षक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर हाल जयपुर ग्रामीण डिक्री फरवाई जावे कि उक्त विवादित आराजीया तमे प्रतिवादी संख्या 01 के साथ 5/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जावें।

(ख) प्रतिवादीगण को जरिए हुक्म ईम्तनाइ दवामी पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजी के मौके व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाए रखे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष जो बय नजदीक अदालत श्रीमान हो अता फरमाया जावे ।

4. दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया बाद विधिवत तलबी प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 व 5 न्यायालय हाजा मे उपस्थित हुए जिन्हें जवाब पेश किये जाने हेतु उचित अवसर दिये गये जवाब पेश न किये जाने की दशा मे जवाब बंद किया जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण नियत की गई वादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु उचित अवसर दिये गये परन्तु वादीगण द्वारा साक्ष्य पेश नही करने के कारण साक्ष्य वादी बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली को अवलोकन किया पत्रावली मे प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2072 के अनुसार आराजी विवादित प्रतिवादी सं. 01 मुकेश पुत्र मूल्या हिस्सा 1/3 दर्ज है। वादी संख्या 01 लगायत 05 नाबालिग है तथा प्रतिवादी सं. 06 मनोहरी देवी पत्नी मुकेश ने जरिये संरक्षक वाद पेश किया है। चूकि आराजी विवादित प्रतिवादी सं0 01 की खातेदारी मे 1/3 हिस्सा दर्ज है। वादीगण द्वारा अपने वाद को सिद्व करने के लिए कोई साक्ष्य पेश नही की है साक्ष्य के अभाव मे वादीगण का वाद साबित नही होता है। वाद वादीगण खारिज किया जाना कानूनसंगत व न्यायोचित प्रतित होता है।

6. **अतः आदेश है कि:–**

वाद वादीगण बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा ख.नं. खसरा नम्बर 570/10–12 बीघा, 570/930/00–02 बिघा, 636/03–18 बीघा, 755/943/05–16 बिघा वाके ग्राम बैनाडा पटवार हल्का बैनाडा भूअभिलेख निरीक्षक बस्सी तहसील बस्सी जयपुर ग्रामीण साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार हो कर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 20.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया बाद हस्ताक्षर कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

20/5/2024

मुकुट सिंह (आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)

सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बस्सी(जयपुर ग्रामीण)

पीठासीन अधिकारी :– मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)

दावा पत्र संख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
7/2018	01.02.2018	20.05.2024

उनवान

1. पूजा पुत्री मुकेश आयु 13 साल ना0बा0 जरिये संरक्षिका माता मनोहरी देवी पत्नी मुकेश
2. कोमल पुत्री मुकेश आयु 09 साल ना0बा0 जरिये संरक्षिका माता मनोहरी देवी पत्नी मुकेश
3. खुशी पुत्री मुकेश आयु 07 साल ना0बा0 जरिये संरक्षिका माता मनोहरी देवी पत्नी मुकेश
4. अर्चना पुत्री मुकेश आयु 05 साल ना0बा0 जरिये संरक्षिका माता मनोहरी देवी पत्नी मुकेश
5. केशव पुत्र मुकेश आयु 04 साल ना0बा0 जरिये संरक्षिका माता मनोहरी देवी पत्नी मुकेश
6. मनोहरी देवी पत्नी मुकेश सभी जाति गूर्जर निवासीयान ग्राम बैनाडा तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।

वादीगण।

बनाम

1. मुकेश पुत्र मूल्या
2. बद्री पुत्र मूल्या
3. हनुमान पुत्र मूल्या
4. रामेश्वर पुत्र गुल्लाराम
5. रामफूल पुत्र गुल्लाराम समस्त जाति गूर्जर निवासीयान ग्राम बैनाडा तह0 बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।
6. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बस्सी तह0 बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण जरिये मैनेजर।
7. बैंक ऑफ बडौदा शाखा बस्सी तह0 बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण जरिये मैनेजर।
8. उपपंजीयक बस्सी तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण।
9. तहसीलदार तहसील बस्सी जिला जयपुर ग्रामीण ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा,इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा।

क: 20.05.2024

पर्चा डिक्री

वाद वादीगण बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा ख.नं. खसरा नम्बर /10–12 बीघा, 570/930/00–02 बिघा, 636/03–18 बीघा, 755/943/05–16 बिघा ग्राम बैनाडा पटवार हल्का बैनाडा भूअभिलेख निरीक्षक बस्सी तहसील बस्सी जयपुर ग्रामीण बेत नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद वादीगण स्वयं वहन करेगे।

20/5/2024

मुकुट सिंह (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बस्सी (जयपुर ग्रामीण)

उपखण्ड अधिकारी
बस्सी (जिला जयपुर)